UPSR010022132025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पाक्सो एक्ट) श्रावस्ती

आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या–233/2025

आराधना बनाम नानबाबू उर्फ कालीचरन

दिनांक–06–07–2026

पत्रावली पेश हुयी। पुकारा गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र ए–3 अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम पर पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

प्रार्थिनी/अपीलार्थी आराधना की ओर से प्रार्थना पत्र ए–3 मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम इस आशय से दिया गया कि उसे एकपक्षीय रूप से पारित आदेश दिनांक–09–12–2022 की जानकारी किसी भी प्रकार से नहीं हुयी। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा जब अपीलार्थी को साक्ष्य हेतु तलब किया गया और अपीलार्थी के अधिवक्ता के माध्यम से पत्रावली में उपस्थित हुयी। उक्त आलोच्य आदेश दिनांक–09–12–2022 की जानकारी हुयी। तब अपीलार्थी ने अपने विद्वान अधिवक्ता से विधिक सलाह लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उक्त आदेश को वापस लेने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर समुचित सुनवायी के बाद दिनांक–02–09–2025 को उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक–09–12–2022 व 02–09–2025 के विरूद्ध अपील अंदर मियाद दायर किया था। जिसमें उत्तरदातागण को नोटिस जारी हुआ और उपस्थित आये। सुनवायी के समय ज्ञात हुआ कि आदेश दिनांक–09–12–2022 के स्थान पर लिपिकीय त्रुटिवश 02–09–2024 लिख गया था। चूँकि आपराधिक अपील में संशोधन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए अपीलार्थी पूर्व में दाखिल अपील को वापस लेकर मियाद प्रार्थना पत्र के साथ दूसरी अपील दाखिल किया है, जो तारीख जानकारी से अन्दर मियाद है। अपीलार्थी ने जानबूझकर विलम्ब नहीं किया है, बल्कि विलम्ब उपरोक्त कारण वश हुआ है। न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर मुकदमा गुणदोष के आधार पर पारित किये जाने की याचना की गयी है।

उत्तरदातागण की ओर से धारा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए लिखित आपत्ति दाखिल की गयी है। जिसमें कथन किया गया है कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश की जानकारी थी। आलोच्य आदेश की सरकारी अधिवक्ता को जानकारी

Digitally signed by SAURABH SAXENA
Date: 2026.07.06 16:03:14 IST
Reason: ASJ(Excl POCSO Act) Shravasti
Location: District and Sessions Court Shravasti

थी। उत्तरदाता की जमानत अपर सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती के न्यायालय पर सुनवाई के दौरान पक्षकार मुकदमा, सरकारी पक्षकार व सरकार को नाटिस दी गयी थी और उनके प्रतिवाद के बाद ही उत्तरदाता की जमानत स्वीकृत हुयी थी। इस प्रकार यह कहना कि अपीलार्थी को मुकदमें की जानकारी नहीं थी, गलत है। दिनांक–09–12–2022 को बोर्ड के द्वारा उत्तरदाता को बाद साक्ष्य नाबालिग घोषित किया गया। परन्तु इसके विरूद्ध समय से कोई रिवीजन या अपील नहीं की गयी। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को किशोर न्याय बोर्ड ने विधिक तौर पर निरस्त कर दिया है। इस आधार पर भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदिका/अपीलार्थी व विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों का सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका द्वारा दाण्डिक अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर विलम्ब कारित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र ए–3 अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है। इसके विपरीत विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका द्वारा जानबूझकर अपील समय से प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः आवेदिका का प्रार्थना पत्र ए–3 अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी/उत्तरदाता नानबाबू उर्फ कालीचरन को मुकदमा अपराध संख्या–14/2020 धारा–354, 323, 504 भा०दं०सं० व धारा–7/8 पॉक्सो एक्ट, थाना–मल्हीपुर, जनपद–श्रावस्ती के मामले में किशोर न्याय बोर्ड, श्रावस्ती द्वारा दिनांक–09–12–2022 को किशोर घोषित किया गया था। अपीलार्थी आराधना द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध किशोर न्याय बोर्ड, श्रावस्ती के समक्ष दिनांक–03–12–2024 को एक प्रार्थना पत्र आलोच्य आदेश दिनांकित–09–12–2022 को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र किशोर न्याय बोर्ड, श्रावस्ती द्वारा दिनांक–02–09–2025 को क्षेत्राधिकार के अभाव में निरस्त कर दिया। तत्पश्चात अपीलार्थी आराधना द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक–09–12–2022 के विरूद्ध दिनांक–09–09–2025 को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट), श्रावस्ती के न्यायालय पर अपील प्रस्तुत की गयी, जो दिनांक–15–12–2025 को लिपिकीय त्रुटि होने के आधार पर बिना गुणदोष के निरस्त कर दी गयी। तत्पश्चात अपीलार्थी आराधना द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित–09–12–2022 के विरूद्ध प्रश्नगत अपील योजित की गयी है, जिसके साथ धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी

दिया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है, वह विधिक कार्यवाही एवं प्रक्रिया के दृष्टिगत हुआ है। आवेदिका द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब कारित किया जाना दृष्टिगत नहीं है।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **पुरूषोत्तम दास मिश्रा प्रति उप निदेशक चकबन्दी लखनउ एवं अन्य, 2015 (33) एल०सी०डी० 1994** के मामले में यह प्रतिपादित किया गया है कि विलम्ब हेतु पर्याप्त कारण देखते समय उदारता का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **प्रेमचन्द एवं अन्य प्रति उप निदेशक चकबन्दी एवं अन्य 1984 आर०डी० 285** के मामले में यह प्रतिपादित किया गया है कि विलम्ब को क्षमा करने हेतु उदार दृष्टिकोण रखा जाना चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट लुधियाना प्रति उजागर सिंह एवं अन्य, 2010 (28) एल०सी०डी० 1531** के मामले में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय को सामान्य रूप से मामलों को गुणदोष के आधार पर निर्णीत किये जाने के लिए विलम्ब क्षमा कर दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं के दृष्टिगत तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत एवं प्रार्थना पत्र में उल्लिखित कथनों के आलोक में आवेदिका/अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र ए–3 अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ए–3 अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम 1,000/– (एक हजार रूपये) हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। आवेदिका/अपीलार्थी को दाण्डिक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। आवेदिका/अपीलार्थी द्वारा 07 दिन के अन्दर अधिरोपित हर्जा जमा किया जाये और अधिरोपित हर्जा विपक्षी को दिया जाये। अपील याचिका दर्ज रजिस्टर एवं अंगीकरण पर सुनवाई हेतु माननीय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती के समक्ष दिनांक–22–07–2026 को पेश हो। हर्जा जमा होने के पश्चात अपील की पत्रावली माननीय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती के कार्यालय अविलम्ब प्रेषित की जाये।

(सौरभ सक्सेना)

दिनांक–06–07–2026

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट) श्रावस्ती।